

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज

शुद्ध व तारीख
अहकाम जी हुकम
हुकम की तारीख में
जारी हुक

23.9.2025

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर
अपील संख्या- 103/2015 अंतर्गत धारा-76 एल.आर. एक्ट
(GCMS No. 2015/00175)

1. पृथ्वीराज पुत्र श्री गंगाराम जाति जाट साकिन घमूड़वाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

1. रणवीर कुमार पुत्र भागीरथ जाति जाट साकिन घमूड़वाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. विद्या देवी धर्मपत्नी भागीरथ जाति जाट साकिन घमूड़वाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. मेहरचंद पुत्र चेतनराम जाति जाट साकिन घमूड़वाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. मनिनन्द्र सिंह पुत्र मेहरचन्द जाति जाट साकिन घमूड़वाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. श्रीमती समेस्ता पत्नी रणवीर कुमार जाति जाट साकिन घमूड़वाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
6. राजस्थान सरकार।

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांत का देहांत दिनांक 06.05.2024 को हो गया है तथा 90 दिवस की मियाद अवधि समाप्त हो चुकी है। अभिभाषक अपीलांत को भी उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति द्वारा सूचित किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त अपील अबेट हो जाने के कारण खारिज की जावे।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथा अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 26.08.2015 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार अपीलांत का देहांत दिनांक 06.05.2024 को हो गया है। अभिभाषक अपीलांत द्वारा मृत्यु की सूचना प्राप्त हो जाने के उपरांत भी अपीलांत के वारिसान को अपील में पक्षकार बनाये जाने की कार्यवाही नहीं की है। अतः अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांत Abate हो जाने के कारण इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं। आदेश सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित हो। अपील नंबर से कम होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे।

(विश्राम जीनी)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर

